न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 841 सन 2020
अनवान :–

1. बसन्ती पत्नी प्यारेलाल जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 26/08/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 2.5300हैक जिसमें वादीया का नाम बंसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम दर्ज है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि विरास्तन से दर्ज करते समय पति के स्थान पर पिता का नाम दर्ज करने के कारण बंसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम दर्ज हो गया जबकि वादीया का सही नाम बसन्ती पत्नि प्यारेलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , बैक पास बुक , भामाशाह कार्ड में वादीया का नाम बसन्ती पत्नि प्यारेलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता स. 203/192 में वादीया का नाम बंसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम दर्ज के स्थान पर बसन्ती पत्नि प्यारेलाल सशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थीया का नाम संशोधन किया जाना उचित है ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 2.5300हैक जिसमें वादीया का नाम बंसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम दर्ज है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि विरास्तन से दर्ज करते समय पति के स्थान पर पिता का नाम दर्ज करने के कारण बंसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम दर्ज हो गया जबकि वादीया का सही नाम बसन्ती पत्नि प्यारेलाल है यही नाम अन्य सभी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , बैक पास बुक , भामाशाह कार्ड में वादीया का नाम बसन्ती पत्नि प्यारेलाल दर्ज है एवं सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना के अनुसार भी सही नाम बसन्ती पत्नि प्यारेलाल है सभी नाम बसन्ती के ही है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 2.5300हैक भूमि की सायल खातेदार काश्तकार है जिसमें सायला का नाम बंसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम बसन्ती पत्नि प्यारेलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक, भामाशाह कार्ड सभी में सायला का नाम बसंन्ती पत्नि प्यारेलाल दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना के अनुसार भी बंसीबाई , बसन्ती दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है तथा वादीया बंसन्ती प्यारेलाल की पत्नि है एवं लुडाराम उर्फ लुडणराम की पुत्री है सायला समस्त रिकार्ड में ऐकरूकता करने के लिये अपने पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम करवाना चाहती है सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना ने भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है वादीया बसन्ती प्यारेलाल की पत्नि है व लुडाराम की पुत्री है जो वर्तमान में गांव में निवास कर रही है सायला अपने पिता के स्थान पर पति का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना के प्रमाण पत्र व तहसीलदार नोहर का ऐतराज नही होने के आधार परं वादीया का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादीया का नाम बसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम के स्थान पर बंसन्ती पत्नि प्यारेलाल पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बसन्ती पत्नी प्यारेलाल जाति बाजीगर निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 - राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 841 सन 2019 निर्णय दिनांक– 26/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन के खाता संख्या 39/40 की कुल 2.5300हैक भूमि में वादीया का नाम बसीबाई पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम के स्थान पर बंसन्ती पत्नि प्यारेलाल पुत्री लुडाराम उर्फ लुडणराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner